लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

क्रमांक / स्था.2 / व्या. / पदो.संशो. / 2007 / रायपुर,31.12.08दिनांक

प्रति,

1— समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, छत्तीसगढ़

2— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषयः संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा जारी व्याख्याताओं के पदोन्नति उपरांत पदांकन आदेशों में संशोधन विषयक ।

—0—

जैसा कि आपको विदित ही है, संचालनालय द्वारा दिनांक 27.09.2008 को शिक्षकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नत कर, पदांकन आदेश जारी किए गए थे । तत्पश्चात् प्रत्येक जिले से पदोन्नत शिक्षकों द्वारा पदस्थापना संशोधन हेतु अभ्यावेदन जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में पदोन्नत शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है । जहां एक ओर जिला कार्यालयों से रिक्त स्थानों की सही—सही जानकारी संचालनालय को प्राप्त नहीं हुई है, वहीं नवीन सेटअप जारी होने के बाद शिक्षा कर्मी वर्ग—1 की पदस्थापनाएं भी जिला पंचायतों द्वारा समानांतर रूप से की जा रही है । ऐसी स्थिति में संशोधन अभ्यावेदनों पर राज्य स्तर से विचार कर, आदेश प्रसारित करने में कठिनाई हो रही है । अतः प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत निर्णय लिया गया है कि प्रस्तुत अभ्यावेदनों का निराकरण जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के निर्देशन में किया जावे । उल्लेखनीय है कि उक्त अभ्यावेदनों पर छ0ग0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 की कण्डिका 6 (15) के अनुरूप विचारोपरांत कार्यवाही की जायेगी । (प्रतिलिपि संलग्न)

जहां शिक्षक द्वारा दूसरे जिले में पदांकन हेतु अभ्यावेदन दिया जावे, वह मूलतः संचालनालय को प्रेषित करें । इस कार्यवाही का उचित प्रचार—प्रसार भी करें, जिससे अभ्यावेदनकर्ताओं को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके ।

अतः आपके जिले के सभी अभ्यावेदन मूलतः आपकी ओर प्रत्येक प्रकरण पर गुण—दोष के आधार पर एवं सेटअप अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर निराकरण हेतु भेजे जा रहे हैं । संशोधन आदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचयत के अनुमोदन के उपरांत ही जारी किए जा सकेंगे । कृपया उक्त कार्यवाही 10.01.2009 तक पूर्ण कर लें जिससे माह जनवरी में ही सेटअप के अनुरूप शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया भी पूर्ण की जा सके । इसकें सुसंगत आदेश आपको पृथक से प्रेषित किए जाएगे । कृत कार्यवाही के बाद व्याख्याता / शिक्षा कर्मी वर्ग—1 के शेष रिक्त पदों की जानकारी संचालनालय को प्रेषित करें ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

आयुक्त
लोक शिक्षण
छत्तीसगढ

पृष्ठां.क्रमांक / स्था.2 / व्या. / पदो.संशो. / 2007 /   रायपुर दिनांक

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय डी.के.एस.भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2– समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ । कृपया उपरोक्त कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधितों को प्रदान करें ।

आयुक्त
लोक शिक्षण
छत्तीसगढ